न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 69/2022

1. मुकेश पुत्र साहबराम जाति जाट साकिन गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. विकास पुत्र साहबराम जाति जाट साकिन गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

––वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

––प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता — वादीगण
2. राजपैरोकार — प्रतिवादी

–:: निर्णय ::–

दिनांक :–10-09-24

वादीगण ने प्रतिवादी के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के नाम से खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 4 यू.एम.डब्लयू. के खाता सं. 96 के प.नं. 21/206 के किला नं. 6/1, 6/2 7, 10, 11, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 25/1, 25/2, प. नं. 22/206 के किला नं. 17 ता 20 कुल तादादी 3.036 हैक्. ब.हि.ब. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

वाद पत्र की दफा 2 में वर्णित भूमि के प.नं. 21/206 के किला नं. 6/2, 15/2, 16/2, 25/2 प्रत्येक में 0.025–0.025 हैक्. गै.मु. खाला अंकन दर्ज है जबकि इस रकबा में किसी किस्म का कोई खाला नही है। इस संबंध में कार्यालय अधिशाषी अभियंता, सिंचाई खण्ड प्रथम, हनुमानगढ़ संगम ने अपने शुद्धि आदेश सं. 1923 दिनांक 28.11.1996 मे अंकन किया है कि चक 4 यूएमडब्लयूएम के प.नं. 21/206 से 21/207 तक प.नं. 20/206 से 10/206 तक खाला कैंसिल कर दिया है। चित्रप्रति आदेश संलग्न वाद पत्र है।

चक 4 यूएमडब्लयू के प.नं. 21/206 के किलानं. 6/2, 15/2, 16/2, 25/2 प्रत्येक मे 0.025–0.025 हैक्. गै.मु. खाला अंकन होने से वादी की हकूक खातेदारी पर विपरित असर पड़ता है। वर्तमान में उक्त रकबा काश्त किया जारहाहै। इसलिए चक 4 यूएमडब्लयू के प.नं. 21/206 के किला नं. 6/2, 15/2, 16/2, 25/2 प्रत्येक में 0.025–0.025 हैक्. गै.मु. खाला के स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ।

वादी द्वारा राजस्व अभिलेख मे खाला अंकन हटवाने हेतू प्रतिवादी सं. 1 को कई बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये और हाल ही मे प्रशासन गांव के संग अभियान, ग्राम पंचायत उमेवाला में दिनांक 08.11.2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गै.मु. खाला का अंकन हटाते हुये वादीगण के नाम से भूमि का अंकन किया जावे तो प्रतिवादी सं. 1 कुछ दिन टालमटोल करते रहे और 5 दिवस पूर्व प्रतिवादी [illegible] साफ मना कर दिया और कहा कि यह क्षेत्राधिकार मेरा नही है जो कि वाद हेतुक है [illegible]

वाद पत्र श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार [illegible] का है जो उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत व अन्दर मियाद है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जा[illegible]

क. कि घोषित किया जावे कि चक 4 यूएमडब्लयू के प.नं. 21/206 के किला नं. 6/2, 15/2, 16/2, 25/2 प्रत्येक में 0.025–0.025 हैक्. गै.मु. खाला के स्थान पर वादीगण ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.09.10 17:44:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

ख. कि खर्चा मुकदमा दिलाया जावे ।

ग. कि अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे दिलाया जावे ।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा से वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार पीलीबंगा से तथ्यात्मक रिपोर्ट क्रमांक 504 दिनांक 29.06.2022 को इस आश्य की प्राप्त हुई कि:–वर्णित भूमि प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है।

मुताबिक रिकॉर्ड इस भूमि बाबत कोई विवाद एवं किसी न्यायालय का स्थगन आदेश आदिनांक तक नहीं है।

प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करायी गई सिंचाई विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक सिंचाई विभाग मे उक्त भूमि मे कोई जलमार्ग स्वीकृत नहीं है।

मौके पर वर्णित भूमि में धोरी खाला नही चल रहा है।

मौका पर इस भूमि के ज्यादातर भाग में काश्त की गई है व 3–4 फुट चौड़ाई में प्रार्थी द्वारा अपने खेत में बनी डिग्गी से सिंचाई सुविधा हेतू अस्थायी निजी आड बनाई हुई है।

अतः मौका एवं सिंचाई विभाग की रिपोर्ट अनुसार खाला निरस्त करने की अनुशंषा की जाती है।

प्रकरण में किसी प्रकार का प्रतिवाद नही होने के कारण प्रकरण में तनकीयात कायम नही होने से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई, दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागण ने वाद मे दिये गये कथनों को दोहराते हुए तथा तहसीलदार पीलीबंगा की तथ्यात्मक रिपोर्ट व सिंचाई विभाग के उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

हमने वादीगण एवम् तहसीलदार पीलीबंगा की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि तहसीलदार पीलीबंगा की अनुशंषा पर वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादीगण एवम् प्रतिवादी के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि चक 4 यूएमडब्लयू के प.नं. 21/206 के किला नं. 6/2, 15/2, 16/2, 25/2 प्रत्येक मे 0.025–0.025 हैक. गै.मु. खाला के स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वनविभाग, जोहड़ पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म नहरी/बारानी/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 10-09-24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.09.10 17:44:45 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा